# उत्तर प्रदेश शासन लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग संख्याः 268 /91—2021—09/2014 लखनऊ दिनांकः | 4 दिसम्बर, 2021

# अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से , समय—समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या—2198 / एक—14—2010—33(100)—2010 टी०सीं०—III, दिनांक, 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :--

### संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 की प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

# अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवाएं	पदामिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रधम अपीलीय अधिकारी व निस्तारण हेतु नियत समय सीमा		द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	परिवहन विभाग	1—मोटर यान का अस्थाई परमिट	सम्बन्धित संभाग का संभागीय परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	संबन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दिवस ।	अपर परिवहन आयुक्त	30 कार्य दिवस।
		2—परमिट का नवीकरण	सम्बन्धित संभाग का संभागीय परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	संबन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दियस ।	अपर परिवहन आयुक्त	30 कार्य दिवस।
		3—व्यापार प्रमाणपत्र जारी किया जाना	संबन्धित जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	15 कार्य दिवस	सम्बन्धित संभाग का सभागीय परिवहन अधिकारी	30 कार्य दिवस ।	संबन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दिवस।
	-	4—व्यापार प्रमाणपत्र का नवीकरण	संबन्धित जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित संभाग का संभागीय परिवहन अधिकारी	30 कार्य दिवसः।	संबन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दिवस।

आज्ञा से, (के0 रिकन्द्रेश्नायक) प्रमुख सिवव।

# UTTAR PRADESH SHASAN LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 268/91-2021-09/2014 dated December, 2021:

#### **NOTIFICATION**

No.268 /91-2021-09/2014 Lucknow: Dated 4 December, 2021.

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010T.C.-III dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

# <u>AMENDMENT</u>

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 86, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, column-wise be inserted, namely:-

#### Schedule

Sr. no.	Name of the Departments	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Transport Department	I- Temprary permit of motor vehicle	Regional Transport Officer of the Region concerned	07 working days	Deputy Transport Commissioner (Zone) concerned	30 working days.	Additional Transport Commissioner	30 working days.
		2- Renewal of permit	Regional Transport Officer of the Region concerned	07 working days	Deputy Transport Commissioner (Zone) concerned	.30 working days.	Additional Transport Commissioner	30 working days,
		3. Issuance of Trade Certificate	Assistant Regional Transport Officer of the District concerned	15 working days	Regional Transport Officer of the Region concerned	30 working days,	Deputy Transport Commissioner (Zone) concerned	36 working days,
	The state of the s	4-Renwal of Trade Certificate	Assistant Regional Transport Officer of the District concerned	0.7 working days:	Regional Transport Officer of the Region concerned	30 working days.	Deputy Transport Commissioner (Zone) concerned	30 working days,

By order,

(K.Ravinder Naik) PRAMUKH SACHIV